Joshi, Shri A.C.
Joshi, Shrimati Subhadra
Kanakasabai, Shri
Krishnamachari, Shri T.T
Krishna Rao, Shri M V
Kureel, Shri B N
Lachhi Ram, Shri
Lal, Shri R.S.
Mallliah, Shri U.S
Malvia, Shri K B
Mansen, Shri
Mathur, Shri Harish Chandra
Mehta, Shrimati Krishna
Minimata, Shrimati
Mishra, Shri L.N.
Mishra, Shri M.P
Misra, Shri R R
Morarka, Shri
Murti, Shri M S
Naidu, Shri Govindarajalu
Nanda, Shri
Narayanasamy, Shri R
Naskar, Shri P.S.
Nehru, Shri Jawaharlal
Nehru, Shrimati Uma
Palaniyandy, Shri
Patel, Shrimati Maniben
Patel, Shri Rajeshwar
Prabhakar, Shri Naval
Radha Raman, Shri
Rajiah, Shri
Ramaswami, Shri S V
Ram Krishan, Shri
Rampure, Shri M
Ram Saran, Shri
Ram Subhag Singh, Dr
Rane, Shri
Rao, Shri L M.
Roy, Shri Bishwanath
Sahodrabai, Shrimati
Saigal, Shri A S.
Samanta, Shri S.C.
Samantsinhar, Dr.
Sanganna, Shri
Sarhadi, Shri Ajit Singh
Satyabhama Devi, Shrimati
Satyanarayana, Shri
Sen, Shri A. K.
Shah, Shrimati Jayaben
Siddananjappa, Shri
Singh, Shri D.N.
Sinha, Shri Jhulan
Sonawane, Shri
Subramanyam, Shri T
Tantia, Shri Rameshwar
Tariq, Shri A.M.
Tewari, Shri Dwarikanath
Thakur Das, Lala
Thimmaiah, Shri
Tiwari, Shri R S.
Umrao Singh, Shri
Upadhyaya, Shri Shiva Datt

The motion was negatived.

PUNISHMENT FOR MOLESTATION OF WOMEN BILL

Shri Radha Raman (Chandni Chowk): I beg to move:

> "That the Bill to provide for punishment of persons guilty of molesting women, be taken into consideration".

सभापति महोदय, मैं आपके गौर के लिये एक छोटा सा विधेयक रखने जा रहा हूं। मेरा यकीन है कि इस सदन के मेम्बरान इस विधेयक पर निहायत संजीदगी के साथ गौर करेंगे और सरकार भी उसको बहुत गौर के साथ और सोच विचार के बाद मंजूर कर लेगी। इस बिल के अगराजात और मकासद यानी उद्देश्यों में से न लिखा है कि हमारे मुल्क में औरतों और लड़कियों के साथ बहुत बदसलूक और दुर्व्यवहार होता है और ऐसे बहुत से जुर्म हमारे मुल्क में होते हैं कि जिन का कोई इलाज, जो इस वक्त हमारे यहां इंडियन पीनल कोड है और उसकी जो इस सम्बन्ध में धारायें हैं, उनसे होता नजर नहीं आता है। आज हिन्दुस्तान को आजाद हुए करीब करीब दस बरस हो चुके हैं और हम ने इस चीज को अपने कान्स्टीट्यूशन में रखा है कि हमारे मुल्क में मर्द और औरत के दरम्यान कोई फर्क नहीं होगा और उनको सब वे अधिकार प्राप्त होंगे जो दूसरों को हैं और उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा। लेकिन अगर हम चारों तरफ देखें, तो हम पायेंगे कि आज जो बातें हो रही हैं वो इसके बिल्कुल बरअक्स हैं।

यह ठीक है कि हमारी सरकार ने कुछ ऐसे कानून पास किये हैं जिन के द्वारा हम ने समाज सुधार का बहुत सारा काम किया है और आज भी वे कानून हमारे मुल्क में रायज हैं। लेकिन उन कानूनों के होते हुए भी आज जब हम चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं तो हम ऐसे बहुत सारे जुर्म देखते हैं कि जो किसी भी सभ्य दुनिया में या किसी भी सभ्य देश में नहीं किये जाने चाहियें और जिन को करने की किसी भी समाज के अन्दर इजाजत नहीं हो सकती।

मैं निहायत अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि इस विधेयक को अगर आप देखें तो आप पायेंगे कि यह बहुत छोटा सा और बहुत मुख्तसिर सा विधेयक है। इसको लाने का मेरा मंशा सिर्फ एक है। मैं यह चाहता हूं कि इस किस्म के जो जरायम हैं जो हमारे

मुल्क में होते हैं उनके लिये जो सजा अब तक रखी गई है वह या तो पूरे तौर पर नहीं दी जाती है, इसलिये वे बेकार साबित होती हैं या जो सजा दी जाती है वह नाकाफी होती है और कानूनी तरीकों से जो उन जुर्मों का फैसला किया जाता है, उसमें बहुत से ऐसी चीजें रह जाती हैं जो साबित नहीं हो पाती हैं। मेरा यह कहना है कि हमारे मुल्क में करीब करीब ९० फीसदी, ऐसे केसिस होते हैं कि जहां स्त्रियों के साथ या लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार होता है, वह सामने आते ही नहीं हैं क्योंकि हमारी बहनों को तथा हमारी माताओं को कुछ ऐसी ट्रेडिशंस में पाला गया है, कुछ ऐसे रिवाजों के मातहत रखा गया है कि वे इस चीज को बहुत खराब समझती हैं। और उन्हें सामने लाना मुनासिब नहीं समझती हैं।

एक तरफ तो यह बात है कि वह इनका जिक्र नहीं करते दूसरी तरफ यह भी है कि जहां इस तरह की बातें सामने आती हैं वहां चाहे पुलिस हो और चाहे कोई और एजेंसी हो वह उन रिपोर्टों को दर्ज भी नहीं करती। इसका नतीजा यह है कि यह जुर्म दिनों दिन बढ़ता जा रहा है :

17 hrs.

इस सदन के बहुत से माननीय सदस्य यह जानते होंगे कि अभी कुछ अर्सा हुआ जब इस तरह एक इशारा अखबारों में भी हुआ था और हमारे प्रधान मंत्री जी ने भी यह इशारा किया था कि दिल्ली में और दिल्ली के अलावा भी हिन्दुस्तान के अन्य हिस्सों में बहुत सारी जगहों में हमारी बहनें दफ्तरों में काम करती हैं या कहीं और मुलाजमत करती हैं, वहां पर उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं होता है जैसा व्यवहार उनके साथ होना चाहिये।

मुझे इस किस्म के कई केसेज मालूम हैं। मैं यह जानता हूं कि अभी चन्द महीने हुए जब एक ऐसी बहिन थी जिसने अपना पेट भरने के लिये करीब करीब हर जगह पर नौकरियां तलाश कीं। वह बहुत पढ़ी लिखी और समझदार थी लेकिन जिस दफ्तर में वह गई उस दफ्तर में वह ६ महीने से ज्यादा नहीं रह सकी और उसकी एक खास वजह यह थी कि जो मालिकान थे या उस दफ्तर के अन्दर बड़े अफसरान थे, वह उसके साथ वैसा बर्ताव नहीं करते थे जैसा कि वह ख्याल करके गई थी। नतीजा इसका यह हुआ कि वह बेचारी एक जगह से मुलाजमत छोड़ कर आई, दूसरी जगह उसने मुलाजमत की वहां पर भी उसे यही तजुर्बा हुआ और जब तीसरी जगह उसने मुलाजमत की तो उसको वहां भी यही तजुर्बा हुआ। यह अक्सर कहा जाता है कि ऐसे जुर्म की सजा के लिये हमारे पास कानून मौजूद है। इंडियन पेनल कोड की धाराओं को देखने से जाहिर होता है कि इस किस्म के वाकयात की जो हमारे सामने मिसालें आती हैं, उनके लिये कानून के अन्दर बहुत काफी और सख्त सजायें देने की तजवीज मौजूद है। लेकिन अगर आप उन तमाम मुकद्दमों को जो कि हमारी अदालतों में जाते हैं देखें और उनके नतीजों पर गौर करें तो आप इस बात से इत्तिफाक करेंगे कि ऐसे केसेज के अन्दर बहुत ज्यादा तादाद ऐसे नतीजों की निकलती है जिनमें मुलजिम या जो जुर्म करने वाले होते हैं वे स्कोप की बिलकुल छूट जाते हैं और उन पर कोई इल्जाम आयद नहीं होता।

अभी चन्द दिन हुए जब मेरे पास एक खत आया था जिसका कि जिक्र मैं यहां पर करना चाहता हूं। यह खत मुझे एक फौजी की बेवा ने लिखा है और उसने पुरजोर अल्फाज में यह अपील की है कि हम चाहते हैं कि मेम्बरान पार्लियामेंट इस तरफ लोगों का ध्यान खींचें कि हम बहुत सारी बेवायें हैं जिनको अपने पतियों की पेंशन लेने के लिये दफ्तरों में जाना पड़ता है और वहां पर उनके साथ तरह तरह की बदसलूकी होती है। उन्होंने लिखा है कि दुखिया बेवाओं की जो कि पेंशन हासिल करने के लिये डाकखानों, बैंकों, अदालतों और तहसील आफिसों के

[श्री राधा रमण]

बालकों के पास जाती हैं, उन बालकों से हमारी इज्जत बचावें । हम देहातों में चक्कर लगा कर दफ्तरों में खुद हाजिर होती हैं लेकिन हमारे साथ बहुत बदसलूकी होती है । मोटर के अड्डों, रेलवे स्टेशन्स और थानों में, हर जगह अपनी इज्जत का हमें खतरा रहता है और औरतों का चलना फिरना मुश्किल है । मैं उस सारे खत को यहां पर पढ़ कर सुनाना नहीं चाहता । उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि दफ्तरों में, थानों में या पुलिस स्टेशनों में जो व्यवहार उनको मिलना चाहिये, जो हिफाजत कानून के जरिये उनकी होनी चाहिये या जो सामाजिक वातावरण उन्हें मिलना चाहिये, वह उनको नहीं मिलता है और वे तरह तरह की परेशानियों में मुब्तिला रहती हैं और उनको इस बात की जरूरत पड़ती है कि वह किसी न किसी किस्म की हिफाजत चाहे किसी लेजिस्लेशन के जरिये और चाहे किसी और तरीके से हो वे हासिल करें ।

थोड़ा अर्सा हुआ मेरे पास कुछ चिट्ठियां आई थीं जिनसे यह जाहिर होता था कि स्कूलों और कालिजों के बहुत सारे लड़के किसी भी लड़की का पता प्राप्त करके, एक खत उसको लिख देते है और उसमें अनापशनाप चीजें लिखी होती हैं, मजमून उसकी ऊटपटांग रहती है, भाषा उसकी ठीक नहीं होती और तरह तरह की बातें लिखी होती हैं । ऐसे खतों को अगर आज हम पुलिस स्टेशनों में भेजें या तहकीकात करावें तो मैं समझता हूं कि अन्त में जा कर उसका कोई खास नतीजा नहीं निकलता है । हमारे जो कानून बने हुए हैं उनको अमल में लाने का जो तरीका है वह काफी लम्बा है और वह बहुत काफी खर्चीला है और उस कानून के जरिये वह कामयाबी नहीं होती जो हमें चाहिये । आज जब कि हमारे संविधान द्वारा भाई और बहिनों की औरतों और मर्दों को समान अधिकार मिले हुए हैं, एक समान माना है, तो ऐसे मौके पर जब इस किस्म का कोई जुर्म हमारे सामने आवे तो हमारे हाथ इतने मजबूत होने चाहियें, सोसाइटी की तरफ से ऐसे कानून होने चाहियें कि जिन पर अमल करने से वह चीज कम हो सके या वह चीज खत्म की जा सके ।

अभी थोड़ा अर्सा हुआ जब मुझे अफगानिस्तान जाने का मौका हुआ । मैं वहां कुछ दिन रहा और मैंने वहां पर खास तौर से यह पूछा कि वहां स्त्रियों के प्रति पुरुषों का कैसा सलूक है तो मुझे यह पता लगा कि उनके वहां इस्लामी शरियत के मुताबिक बड़े सख्त कानून है और भले ही हम उनके यहां जो इस्लामी कानून रायज हैं बारबरस कहें या वहशियाना कहें, लेकिन यह बात जरूर है कि उस कानून के रहते किसी इनसान की यह हिम्मत नहीं हो सकती कि वह किसी औरत के ऊपर किसी किस्म का हमला करे या किसी किस्म की उसके साथ बदसलूकी करे । वहां इस किस्म का कानून रायज है कि अगर कोई मर्द किसी औरत की बेहुरमती करता है या उसके साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाती है यहां तक कि उसको आम (पब्लिक) मैदान में खड़े कर के पत्थरों से मारा जाता है । हम यह कह सकते हैं कि वह एक वहशियाना तरीका है और उसको हम अपने यहां नहीं अपना सकते लेकिन आज हम अपने मुल्क के मौरेल को और अपने मुल्क के इनसानी अखलाक को बढ़ाना चाहते हैं और यह भी ठीक है कि यह चीज सिर्फ लेजिस्लेशन या कानून से नहीं हो सकती बल्कि इसके लिये हमें अनुकूल वातावरण भी पैदा करना होगा और हम उस वातावरण को पैदा करने के लिये कानून की मदद ले सकते हैं । मेरे इस विधेयक को यहां पर पेश करने का मकसद केवल इतना ही है कि मैं चाहता हूं कि देश के लोगों की निगाह इस तरफ जावे ।

अभी चन्द दिन हुए जब अखबार में यह खबर छपी थी कि हमारे दिल्ली के हैंडीक्राफ्ट इम्पोरियम में जो लड़कियां काम करती हैं वे जब शाम को वहां से फारिग हो कर घर जाने के लिये निकलती हैं तो कुछ धुंधला वक्त हो जाता है नौजवान लड़के उनके साथ छेड़खानी करते हैं और उनको तंग करते हैं, पुलिस वाले खड़े देखते रहते हैं और कोई कार्यवाही नहीं करते। अगर कोई लड़की हिम्मत करके यह बात कह भी देती है तो भी उसका कुछ विशेष नतीजा नहीं निकलता। इसलिये मैं सरकार से और अपने तमाम सदस्य भाइयों से यह प्रार्थना करूंगा कि जरूरत इस बात की है कि हम खास इस ओर ध्यान दें और एक ऐसी आबोहवा पैदा करें और कुछ ऐसे कानून हमारे सामने हों जिनके रहते हर एक इनसान इस तरह का दुर्व्यवहार करता हुए डरे और ऐसा गलत काम न करे और हम यह कह सकें कि संविधान में हमने अपनी बहिनों को जो प्रोटेक्शन दिया है, वह सही मानों में अमल में आता है। संविधान में हम यह रख देते हैं लेकिन अगर अमल में वह नहीं आती है तो वह एक डेड मैटर हो जाता है और उससे वह नतीजा नहीं निकलता जो हम निकलता देखना चाहते हैं और उसी के लिये मैंने यह बिल हाउस के सामने रक्खा है। मैं मानता हूं कि मैं कोई एक वकील नहीं हूं और न ही मैं कोई एक ड्राफ्टसमैन हूं इसलिये यह मुमकिन हो सकता है कि इसमें खामियां रह गई हों। मैंने अपने विधेयक में जो इस जुर्म के लिये सजा तजवीज की है, मुमकिन है कि वह कुछ ज्यादा नजर आती हो लेकिन मैं समझता हूं कि इस तरह के मामलों में ज्यादा से ज्यादा सजा भी कम से कम समझनी चाहिये। क्योंकि इस में किसी किस्म का कोई ढीलापन रखना मुनासिब नहीं है। आज हमारी लोकशाही बढ़ रही है, हम समाज को बढ़ा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि स्त्री पुरुष मिल कर समाज की उन्नति में हिस्सा लें, और अगर हम वाकई में उनको तरक्की में अपने साथ देखना चाहते हैं, तो हमें उनको वह तमाम प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, उनकी हिफाजत करनी पड़ेगी, कानून के जरिये भी और आबोहवा पैदा करके भी, जिसकी वह मुस्तहक हैं, जिसके बिना वह तरक्की में हमारा साथ नहीं दे सकती हैं, हमारे शाना ब शाना नहीं चल सकती हैं। अगर हम मुल्क को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, तो हमारे लिये आज इस बात की जरूरत है।

इसलिये मैं निहायत अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि जो कानून मैंने मुख्तसरन् आपके सामने रक्खा है, उस का मकसद यह है कि औरतों के साथ बढ़ती हुई बदसलूकी और बढ़ते हुए दुर्व्यवहार को रोका जावे। उनको किसी ऐसे तरीके से डील किया जावे कि यह खत्म हो सकें या कम से कम हो सकें। और हम अपने समाज के अन्दर एक ऐसा वातावरण पैदा कर सकें कि हमारी बहनें और मातायें पूरी हिफाजत पा सकें और वह हमारे साथ मिल कर हमारे कामों में पूरी तौर से हिस्सा ले सकें, और वह भी आजादी के साथ उनको किसी किस्म का डर और खदशा न हो।

एक और बात आखिर में कह कर मैं इस बिल को आप के सामने पेश करूंगा। मुझे एक साल हुआ जब चीन में जाने का मौका हुआ था। वहां पर भी स्त्री पुरुषों के लिये कानून बने हुए हैं और काफी लड़कों और लड़कियों को आपस में मिलने और साथ काम करने का मौका मिलता है। बड़े बड़े कारखानों में भी आप जायें, तो देखेंगे कि जो छोटे दर्जे के लोग हैं, या जिनकी तनख्वाहें कम हैं, वह मर्द और औरतें दोनों मिल कर काम करती हैं, और मैं समझता हूं कि ऐसे ऐसे मुश्किल काम करते हैं जिनके अन्दर सख्त से सख्त मेहनत होती है, यहां तक कि उनका पसीना निकलता, लेकिन इस के बावजूद किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई लड़का किसी लड़की की तरफ बेजा तरीके पर, आंख उठा कर देख सके, छेड़खानी

[श्री राधा रमण]

का तो कहना ही क्या ? और जब मैंने पूछा कि इसका राज क्या है, तो उन्होंने बतलाया कि इसके दो राज है । एक तो यह है कि आज जो हमारी सरकार है वह इस मामले के अन्दर इतनी सख्त है कि अगर कोई लड़की झूठ भी या कर कह दे कि इस लड़के ने मुझे छेड़ा है, तो उसे सख्त सजा मिलती है जो इबरत अंगेज होती है । हो सकता है कि इससे कुछ नुकसान भी होता हो, किसी गलत आदमी को सजा मिल जाती हो, लेकिन हम इस तरह की हजारों गल्तियों को रोक सकते है, जिन की वजह से हमारा समाज कमजोर हो सकता है । दूसरी बात उन्होंने यह बताई कि उनके कानून भी ऐसे है जिनके जरिये अगर कोई ऐसी बात होती है तो बहुत आसानी से मुजरिम को सजा मिल सकती है, और वह सख्त होती है । इसलिये अगर आज हम अपनी बहनों को और भाइयो को बराबर का अधिकार दे कर आगे बढ़ाना चाहते है और मुल्क की तरक्की चाहते हैं, तो हमें इस किस्म का एक कानून पास करना होगा और ऐसे जराय अख्तयार करने पड़ेंगे जिनके जरिये अगर कोई ऐसे जुर्म हमारे सामने आयें तो हम उनको सख्त सजाओं के जरिये रोक सकें । साथ ही दूसरो को वैसा करने की हिम्मत भी न हो । आज हमारे मुल्क में एक ऐसी हवा पैदा होनी चाहिये कि जिससे हम तेजी से तरक्की की मंजिल पार करते जायें ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल को आप के सामने पेश करता हूं ।

Mr. Chairman: Motion moved:

"That the Bill to provide for punishment of persons guilty of molesting women, be taken into consideration."

श्री सरजू पांडे (रसड़ा) : सभापति महोदय, अभी जो बिल सदन के सामने आया है, उसको मैंने गौर से देखा । जहां तक इस बिल की स्पिरिट है, उस का खुद मैं समर्थन करता हूं । लेकिन मोलेस्टेशन में जो कुछ शामिल किया गया है, उस सबके लिये हमारे पास ऐसे कानून मौजूद हैं कि सजायें दी जा सकती हैं । मैं नहीं समझता कि हर क्राइम को रोकने के लिये कानून बनाना जरूरी है । स्वयं माननीय सदस्य ने यह बात कही है कि कोई जरूरी नही है कि हर जुर्म को रोकने के लिये देश में कानून बनाया जावे । माननीय सदस्य का कहना है कि जब लड़कियां जाती हैं तो बहुत से लोग उन को छेड़ते हैं, लेकिन उन छेड़ने वालों का पुलिस कुछ नहीं करती । मैं तो पूछना चाहता हूं कि पुलिस कहां क्या करती है ? अगर पुलिस ही करप्ट है तो मैं कहता हूं कुछ नहीं हो सकता है । कत्ल और डकैतियों में पुलिस कुछ नहीं करती, दूसरे जुर्मों के लिये पुलिस कुछ नहीं करती । अगर कानून बना दिया जाय, और पुलिस ज्यों की त्यों बनी रहे, तो लाजिमी तौर पर वह कुछ करने वाला नहीं है । इसलिये मैं समझता हूं कि इस बिल को अगर दूसरे ढंग से लाया जाता तो अच्छा होता ।

यह सही है कि हमारे देश में इस तरह के अनेक कांड हो रहे हैं, यह बड़ी ही शर्मनाक बात है, और यह भी सही है कि हमारे देश में औरतों के प्रति लोगों की जो भावनायें है, वह भी बहुत खराब हैं, यह भी सही है कि जितना प्रोटेक्शन उनको मिलना चाहिये, वह नहीं मिलता है । लेकिन जहां तक कानून का सम्बन्ध है, वह सारी की सारी चीजें आई० पी० सी० में मौजूद हैं और उस में ऐसी व्यवस्था मौजूद है जिससे इस तरह के कार्य करने वालों को सजा दी जा सके । लेकिन मैं फिर यह अर्ज करना चाहता हूं कि चाहे जितना भी कानून बना लीजिये, यह आपकी मर्जी की बात है, यहां रोज कानून पास होते हैं, लेकिन रोज कानून बना कर उन पर अमल करना कितना होता है ? उस पर अमल तभी हो सकता है जब कि अमल करने वाले उस पर ईमानदारी से अमल करें ।

अगर पुलिस ही ऐसी है तो मजबूरी है, आप चाहे जितने कानून बनाइये, पुलिस कुछ करने वाली नहीं है । देश में सैकड़ों चीजें रोज होती रहती हैं, हर सूबे में, हर जिले में होती रहती है, लेकिन पुलिस कुछ भी नही करती तो क्या हो सकता है ? जहा तक मैं समझता हूं, अगर इस कानून को पास किया जाये तो मुझे कोई एतराज नही है । लेकिन हम देखते हैं, जैसा कि खुद माननीय सदस्य ने कहा है, रेलवे स्टेशनों पर या दूसरी जगहों पर कोई प्रोटेक्शन नही है । कहीं भी कोई स्थान नही है जहा पर हम औरतो को प्रोटेक्शन दे सकें । उन्होंने रशिया और चाइना की मिसाल दी । मै खुद तो इन मुल्को में नही गया हूं, लेकिन मैने उन जगहों के बारे में पढ़ा है । जो लोग गये है उन्होंने बतलाया है कि रेलवे स्टेशनों पर औरतो के रहने के लिये अलग इन्तजाम रक्खा गया है । उन्होंने बताया कि वहा औरतें आजादी से अपने बच्चो को खिला पिला सकती हैं, रह सकती हैं, उनको छेड़ने वालों को सजायें भी दी जाती हैं । लेकिन साथ ही साथ वहा यह भी है कि वहा के जो अधिकारी हैं, जो अफसर प्रबन्ध करने वाले हैं, उनके चरित्र बहुत ऊंचे है । अगर हमारे देश मे इस किस्म के कानून बनाये जायें तो मै यकीन दिलाता हूं कि बहुत से केसेज रोज खुद पुलिस बना डालेगी । सैकड़ों मुकदमे पुलिस रोज खड़े कर सकती है और लोगों को फंसा सकती है, जिसका कोई इलाज हाउस के पास नही है । आज भी जितने अख्तियारात पुलिस को हासिल हैं, वह उनका इस्तेमाल नहीं करती । उसे और अख्तियार दे दिये गये तो वह झूठे केसेज में लोगों को फंसायेगी और सजा दिलायेगी । इस लिये मैं समझता हूं कि अगर यह कानून इस सम्बन्ध में पास ही कराना हो तो पास करा लें लेकिन इस बात की साफ व्यवस्था होनी चाहिये कि बेगुनाहों को सजा न मिले । अगर सिर्फ छेड़छाड़ करने के लिये, या जो चीजें दी गई हैं:

> "Molestation includes, indecent behaviour towards a woman, assault for criminal force with intent to outrage her modesty, kidnapping, abduction......"

तो यह सारी की सारी चीजे कानून मे मौजूद हैं । अगर यह बिल पास करके दे भी दिया गया पुलिस को, तो लाजिमी तौर पर इससे औरतों का बचाव तो कम होगा, लेकिन पुलिस को इस तरह के केसेज बनाने का अख्तियार जरूर हो जायेगा, यह अख्तियार जरूर हो जायेगा कि वह ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करे ।

इस लिये मै चाहता हू कि माननीय सदस्य इस बिल को दूसरे ढंग से लायें ताकि हमारे देश की स्त्रियों की रक्षा हो सके और साथ ही साथ ऐसे लोगो को जो कि सही मानो में क्रिमिनल है, उन्हे सजा दी जा सके । इससे किसी क्रिमिनल को सजा तो नही मिलेगी लेकिन पुलिस वालो को इतना बड़ा हथियार मिल जायेगा कि जिस आदमी को चाहे अदालत के कठघरे में ला कर खड़ा कर दे । मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य बिल को दूसरे ढग से पेश करें । लेकिन जहां तक बिल की स्पिरिट का सवाल है, इसको मानने मे कोई एतराज नही होना चाहिये ।

श्री जांगड़े (बिलासपुर) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत किया है उसकी भावना तो बहुत पवित्र है और इस देश में अनुकरण करने योग्य है । ऐसे विधेयक कई राज्य सरकारो ने भी पास किये और उनको पास करते समय सदस्यों ने बहुत ऊंची भावना के साथ उनका स्वागत किया । इस सदन मे भी हमने औरतो का अनैतिक धन्धा रोकने के लिये एक विधेयक पास किया है ।

आज हम देखते हैं कि देश में कालिजों मे सह शिक्षा का प्रसार हो रहा है । इस के कारण देश का नैतिक स्तर इतना नीचा गिर रहा है कि हमारा सिर शर्म से झुक जाता है । जिस समय हिन्दू कोड बिल

[श्री जांगड़े]

का एक अंग यहां पारित हो रहा था उस समय मैं ने कहा था कि समाज में ऐसे ढीले व्यवहार को नहीं होने देना चाहिये जो अनैतिकता का रूप ले सके। उस भावना की सदस्यों ने और माननीय मंत्री महोदय ने कद्र की पर मेरा सुझाव उस समय नहीं माना गया। यह बात आज की नहीं है। सैंकड़ों वर्षों से हम इस चीज को भुगतते आ रहे हैं। ज्यों ज्यों किसी शहर की आबादी बढ़ती है, ज्यों ज्यों कारखाने खुलते जाते हैं, ज्यों-ज्यों मालिक और मजदूर का प्रश्न पैदा होता जाता है, ज्यों ज्यों अमीर और गरीब का भेद बढ़ता जाता है, त्यों त्यों इस अनैतिक कार्य का प्रसार होता जाता है जिससे किसी भी सज्जन का सिर शर्म से नीचे झुक जायेगा।

इस विधेयक की भावना बहुत ऊंची है। पर इस का शाब्दिक रूप ठीक नहीं है। माननीय सदस्य ने कहा भी है कि वह वकील नहीं हैं। अगर इस भावना से मंत्री महोदय को प्रेरणा मिल जावे तो वे इसको फिर से ड्राफ्ट करवा सकते हैं।

हमारे देश में ऐसे बहुत से कानून बने लेकिन वे केवल कानून की किताबों में ही रह गये, पुस्तकालयों में केवल देखने और पढ़ने के लिये ही रह गये हैं। उन पर अमल होना बहुत मुश्किल हो गया है। आज हालत यह है कि आज आदमी गरीबी से तड़पता है। कुछ वर्ष पहले जब चीन में च्यांग-काई-शेक राज्य था तो उस समय हमने सुना था कि चीन में अनाचार बहुत ही ज्यादा होता है। अब भी समाचार पत्रों से मालूम होता है कि हांगकांग में और दूसरे स्थानों में किस प्रकार से व्यभिचार होता है। रूस में किसी समय में फैक्टरी मैरिजज होते थे। पर अब जो चीन और रूस में सुधार हुआ है उससे हमारे देश को भी प्रेरणा लेनी चाहिये। हमारे देश में बड़े बड़े महापुरुष हुए, बड़े बड़े धर्मों के प्रवर्तक हुए। इस देश के नैतिक स्तर का अनोखा संसार मानता है। फिर भी आज हमारे देश में करोड़ों लोग इस प्रकार के अनैतिक कार्य करते हैं और खास तौर से देहात का अपढ़ आदमी खुले आम करता है पर उसको बुरा नहीं मानता। पर जब हम अपने बड़े बड़े नगरों में रहने वाले सभ्य नागरिक कहे जाने वालों की और कालिजों के छात्रों की इस प्रकार की प्रवृत्तियां देखते हैं तो हमारा सिर नीचे झुक जाता है। इसी कारण देश के किसी भी रचनात्मक कार्य में हमारा मन नहीं लगता, रात दिन इसी प्रकार की चिन्ता करते रहते हैं और जब कोई चीज सामने आ जाती है तो न जाने क्या कर बैठते हैं। यह बहुत बड़ी समस्या है। देश में इस समस्या को हल करने के लिये सामाजिक कार्यकर्ता कार्य करें परन्तु सरकार को भी इसे संगीन रूप से देखना चाहिये तभी हम देश के करोड़ों लोगों का फायदा कर सकते हैं।

कहा जाता है कि समाज में जो शोषित और दलित हैं उनके बीच में ये चीजें चलती हैं। लोग यहां पर कहते हैं कि उनके यहां पर तो यह प्रथा है। चाहे कोई प्रथा दुनिया में हजारों लाखों सालों से चली आ रही हो, लेकिन अगर उस प्रथा से देश की इज्जत को धक्का पहुंचता है और देश के सतीत्व को धक्का पहुंचता है, मानव की इज्जत को धक्का पहुंचता है तो हमें उस प्रथा को समाप्त कर देने में कोई संकोच नहीं करना चाहिये। पर हमारे यहां ऐसे कार्यों के प्रति कुछ अति उदारता दिखायी जाती है। यह अति उदारता देश के लिये घातक है। इस प्रकार हमने देश के संयम को तोड़ा है और देश में अनुशासनहीनता पैदा की है। इस प्रकार की प्रथाओं की छूट के कारण हमारे देश का नैतिक स्तर आज बहुत नीचा गिरता जाता है। इसी कारण आज देश में [illegible] बढ़ रही है।

यह तो अनैतिक व्यवहार का अंग है। जो व्यभिचार करता है वह शराब भी पीना सीखता है। उसके साथ घूसखोरी भी सीखता है। जब तक हम इन चीजों को संगीन रूप से नहीं देखते, और सरकार का भारती मुहकमा और पुलिस मुहकमा और राज्य सरकारों के वे अधिकारी जो इन कानूनों पर अमल करवाते हैं वे इस ओर ध्यान नहीं देते तब तक हमारा देश सुधर नहीं सकता।

अदालतों में भी इस कार्य के खिलाफ ठीक से कार्यवाई नहीं होती। मैं अपने जूडीशियल विभाग को दोष नहीं देता। आप तो एडवोकेट रहे हैं आपका अनुभव होगा कि इन मामलों में क्या होता है। जो आदमी औरतों का अनैतिक व्यापार करता है उसकी कोई पकड़ नहीं है। किस अदालत में उसको ले जाया जाये इसका कोई इन्तिजाम नहीं है। गरीब आदमी कहां से गवाही लावे, सरकार इस पर ध्यान नहीं देती, पुलिस इस को कागनिजेंस में नहीं लेती। इस का परिणाम यह होता है कि हजारों औरतें कलकत्ता और बम्बई और दूसरे शहरों में अनैतिक व्यापार के लिये ले जायी जाती हैं। कुछ समय बाद यह काम उनकी आदत में शामिल हो जाता है। उसके बाद वे कुटनी का काम करती हैं। और दूसरी औरतों को भी उसी रास्ते पर ले जाती हैं। यह हालत है। जब हम इस चीज को कहते हैं तो कहा जाता है कि इस बारे में हर एक को स्वतंत्रता है। अदालतें इन मामलों में उदारता दिखाती हैं। अगर पुलिस मामला पेश करती है तो उसको प्रोसीज्योर की किसी कमी की वजह से छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार जो आदमी छूट जाता है उसकी भावना बढ़ती है और वह गांवों में जाकर अत्याचार करता है।

मैं कह सकता हूं कि बड़े बड़े शहरों में हजारों औरतें बिना बच्चों के बनी रहती हैं। कुछ औरतें पुरुष के रहते हुए भी अनैतिक व्यापार करती हैं। कुछ औरतों के माता पिता उनको प्रलोभन देकर इस काम में डालते हैं और अपने सामने यह चीज कराते हैं। जब इसके बारे में रोकने को कहा जाता है तो उत्तर मिलता है कि जब दो आदमी राजी हैं तो क्या किया जा सकता है, हम क्या कर सकते हैं। यह बात मैं नहीं समझ सकता। सरकारी अफसर, एस० पी० आदि देखते रहते हैं पर न इसको रोकने का प्रयत्न किया जाता है और न इसके लिये सजा दी जाती है। मैं १५ वर्ष की उम्र से इस काम में पड़ा हुआ हूं और इसके कारण बदनाम भी हुआ। पर मैं देखता हूं कि सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं देती और न कोई और संस्था इस ओर ध्यान देती है। जब तक शासन इस बारे में कठोरता न करे और इस को रोकने के लिये विस्तृत रूपरेखा तैयार न करे तब तक यह नहीं रुक सकता। मैं चाहता हूं कि एक कठोर विधेयक बनाया जाये, उसे पास किया जाये और सख्ती से उस पर अमल किया जाये और प्रान्तों को भी ऐसा करने की हिदायत की जाये तभी हम देश में सुधार कर सकते हैं।

इसके साथ ही साथ मै एक सुझाव और देना चाहता हूं। हमारे देश में जो सह शिक्षा प्रणाली है उसे मैं बुरा मानता हूं, खासकर कालिजों में औरतों के लिये अलग शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिये और पुरुषों के लिये अलग।

जो बड़े बड़े सिनेमागृह हैं उन के कारण बड़ी अश्लीलता बढ़ गयी है। ये हमको गिराते हैं और देश में अनैतिकता का प्रसार करते हैं। इस संबंध में सेंसर बोर्ड कोई ध्यान नहीं देता है और हमारी जो दूसरी संस्थायें हैं, वे भी ध्यान नहीं देती हैं। हम भ्रष्टाचार के लिये प्रचुर साधन और अवसर उपलब्ध करते हैं। इस वस्तुवादी संसार में पुरुष का हृदय कमजोर है, उसका नैतिक स्तर ऊंचा नहीं है। जब उसके सामने साधन और अवसर होता है, तो वह चूके

[श्री वांगड़े]

करने के लिये तत्पर हो जाता है। यहां दिल्ली में देखिये। यहां बड़े बड़े होटल हैं, बड़े बड़े सिनेमाघर हैं। जितनी घनी बस्ती होगी, जितना अधिक फैशन होगा, जितने ज्यादा होटल होंगे, उतने ही ज्यादा जुर्म बढ़ेंगे, उतना ही ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ेगा। हमको इस संबंध में चाइना और रूस का अनुकरण करना होगा। वहां उन्होंने इन चीजों को बन्द कर रखा है। वहां चाहे किसी भी दल का राज्य हो, यह किसी भी देश के लिये गर्व का विषय है। हमें इस बारे में उनसे सीखना होगा और उनके अनुसार कदम उठाने होंगे।

श्रीमती उषा सेहक (सीतापुर) श्रीमान् जी, इस बिल को मैंने कई बार पढ़ा है। इस बिल में जो भी यह लिखा हुआ है कि "Molestation includes indecent behaviour" वगैरह, उसके लिये तो हमारे यहां कानून हैं, जिसमें ये सब बातें आ जाती हैं। इस पर मैं ने सोचा कि आखिर इस बिल को लाने की जरूरत क्या थी। जब मैंने अपने भाई श्री राधा रमण की तकरीर सुनी, तो मुझे पता लगा कि जो चीजें इधर उधर खुफिया तौर से होती रहती हैं, वे इस बिल में नहीं हैं और न हो सकती हैं, क्योंकि उस का चर्चा भी नहीं है और बयान देने के लिये भी कोई तैयार नहीं होता है। अगर कोई स्त्री ऐसी मुसीबत में पड़े और बाहर आ कर कहे, तो हमारे समाज की हालत ऐसी है कि गालिबन दोषी स्त्री ही कहलायेगी। इन दिक्कतों को हमारे भाई श्री राधा रमण मिटाना चाहते हैं। लेकिन इसको देख कर एक और भी बात मेरे ख्याल में आई है और वह यह है कि पुरुष ही हमारे समाज सुधारक हैं और आज जो चर्चा यहां पर हो रही है, उस में मुजरिम भी पुरुष ही हैं यानी समाज का सुधार भी पुरुष ही करेंगे और मुजरिम भी वही होंगे।

श्री बजराज सिंह (फिरोजाबाद) पुलिस भी वही होंगे।

श्रीमती उषा सेहक: यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। इस बिल को देख कर मैं नहीं समझ सकती कि किसी सख्त से सख्त कानून से भी समाज में उन्नति या सुधार होने वाला है। मेरे ख्याल में वह सुधार और उन्नति तभी होगी, जब हमारी स्त्रियां मजबूत होंगी और वे समझेंगी कि समाज का सुधार हमें करना है, हम यहां पर एक माता की हैसियत से हैं, जो पुरुष यह पाप या बुरा काम करते हैं, वे हमारे बच्चे हैं, इनको हमने ही सुधारना है। अगर यह भाव ले कर एक स्त्री चले और वह अपनी निगाह बदल ले, तो मैं समझती हूं कि कोई कितना भी गुनहगार आदमी हो, बदमाश आदमी हो, वह उस स्त्री के करीब नहीं आ सकता है। उस स्त्री में इतनी शक्ति पैदा हो जाती है। आज हमको इस वैलफेयर स्टेट को बनाने के लिये अपनी बहिनों से और स्त्रियों से प्रार्थना करनी है, बल्कि उनको इस बात की शिक्षा देनी है कि वे इतनी मजबूत हों कि वे सारे समाज की शक्ल को बदल दें। हमको अपने समाज में परिवर्तन करना है और उन सांचों को सुधारना है, जिनमें कमजोरियां आ गई हैं।

मेरे पास बहुत से सबूत भी हैं और मैं कई सच्ची कहानियां भी जानती हूं, जो कि मैं इस हाउस में बयान नहीं करना चाहती, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि मैं केवल गरीब लड़कों या मजदूरों को इन गुनाहों का जिम्मेदार नहीं समझती हूं। मैंने देखा है, मैंने सुना है, मैं जानती हूं कि जो लोग आज जैन्टलमैन कहलाते हैं, जो ऊंचे से ऊंचे समाज और सोसायटी में आते हैं, जो बड़ी बड़ी मजलिसों में जाते हैं, बड़े बड़े दफ्तरों में काम करते हैं, वे क्या क्या गुनाह—उन को गुनाह कहिये या जो कहिये—

करते हैं। जब मैं दिल्ली में आई, तो मेरे पास एक दिन तीन औरतें आईं, जो कि रो रही थीं। एक बूढ़ी मां थी और दो उसकी लड़कियां थी। वे रेफ्यूजी लड़कियां, जो कि पंजाब की थी, कुछ शकील और खूबसूरत थीं। उन्होंने मुझे बताया कि वे दफ़्तरों में मुलाजिम हैं और उन दफ्तरों के बड़े बड़े अफ़सर उनके साथ किस तरह का बर्ताव करते हैं। एक लड़की ने कहा कि मैंने तो छुट्टी ले ली है, मैं घर में बैठी हूं। उसकी मां ने कहा कि हम प्याला ले कर भीख मांगेंगे, लेकिन हम यह नहीं देख सकती हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहती हूं, लेकिन हमारे समाज के एक बड़े से बड़े अफसर थे, जिनकी यह हरकत थी।

जैसा कि मेरे भाई श्री सरजू पांडे ने कहा है अगर आप कानून लाते हैं, तो उसके जरिये आप पुलिस के हाथ में और हथियार देते हैं। हमारे सामने जो इस तरह की कहानियां बयान की जाती हैं, उनमें ज्यादातर पुलिस का ही हाथ होता है, जो कि अनपढ़ औरतों को इधर उधर ले जाती है और वे थानों में पहुंचा दी जाती हैं। मेरा कहना यह है कि यह सुधार कानून के जरिये से नहीं हो सकता है, यह सुधार तो सोशल वर्कर्ज के जरिये होना चाहिये। मैंने चीन में देखा कि रात के ग्यारह, बारह बजे तक लड़के और लड़कियां आजादी के साथ घूमते हैं और उनका भाव बिल्कुल भाई बहिन का मैंने देखा। लड़कियां जाती हैं और मजाल नहीं कि कोई भी इस तरह की गन्दी छेड़-छाड़ हो। वहां पर आखिर क्या बात है? कोई कह सकता है कि वहां पर कानून इतने सख्त हैं और इतनी सख्त सजा है कि उससे डर कर कोई ऐसी हरकत करने की हिम्मत नहीं करता है। मैं यह कहना चाहती हूं कि वहां की स्त्रियों ने बड़ी मेहनत की है। वहां की विमेन्स फ़ेडरेशन को मैंने खुद देखा है। उन्होंने इतनी मेहनत की है कि आज चीन की स्त्री अकेली घूमती है और चीन का पुरुष उस की इज्जत करता है।

हम यहां के सोशल स्ट्रक्चर को, यहां के समाज को बदलना चाहते हैं। हम रोज सुनते हैं कि हमको सोशलिस्टिक पटर्न बनाना है, बल्कि सोशलिज्म लाना है। मैं यह कहना चाहती हूं कि सोशलिज्म लाने के लिये औरतों और मर्दों का बराबर होना जरूरी है। हमारे विधान में भी यह लिखा है कि औरत और मर्द बराबर हैं और हम अक्सर यह बात सुनते हैं, लेकिन अगर कोई हम स्त्रियों से पूछे तो हम तो यही कहेंगी कि इस वक्त हमारी अपनी कोई नेशनेलिटी नहीं है। यदि कोई स्त्री चाहे कि उस की शादी किसी अमरीकन से हो जाय और वह हिन्दुस्तानी रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। औरत की नेशनेलिटी को आप नहीं मानते हैं। इस लिये विधान के मुताबिक स्त्री चाहे मर्द के कितनी ही बराबर हो, लेकिन इंडिपेंडेंट नेशनेलिटी उसकी नहीं है।

इसके अलावा औरत आपकी कई सर्विसिज में—जैसे पुलिस में—नहीं जा सकती है। उस के लिये रुकावटें हैं। आप भले ही कहें कि हम रुकावटें नहीं रखते, लेकिन मुझे मालूम है कि आप उन को लेते नहीं हैं। एक लड़की आई० ए० एस० में पास हुई और उसने पुलिस सर्विस में जाना चाहा, तो उसको लिया नहीं गया। क्योंकि लड़कियां पुलिस में नहीं जा सकती हैं। ये दिक्कतें और कमियां हमारे समाज में हैं। मैं तो यही कहूंगी कि जब तक समाज की कम-ज़ोरियों को आप दूर नहीं करेंगे, जब तक स्त्री खुद अपने पैरों पर खड़ी नहीं होगी, जब तक वह खुद यह नहीं समझेगी कि यह बात बुरी और गलत है, और जब तक स्त्री यह निश्चय नहीं कर लेगी कि मर्द उसके साथ खेल और छेड़छाड़ नहीं कर सकता और अपने दिल में मजबूत नहीं होगी तब तक मैं समझती हूं कि कानून से कोई सुधार होने वाला भी नहीं है।

17.41 hrs.

Shri Easwara Iyer (Trivandrum): Mr. Chairman. I believe that I should have no quarrel with the sponsor of this Bill for feeling a certain amount of righteous indignation, if I may say so, against the so-called increase of offences relating to non-marital sexual impulses. I must of course say that a reading of the Indian Penal Code would give us ample opportunity to find out that regarding these offences ample punishments are provided.

I have certainly no quarrel in his championing the weaker sex. I have certainly no quarrel regarding the objects with which this Bill has been moved. I would say that the hon. Member has stated in the Bill in the Statement of Objects and Reasons that crime relating to weaker sex has been on the increase. I do not know the statistics. I am peculiarly unfortunate in finding today that, including the sponsor of the Bill, all the Members who participated in the debate so far have been speaking in a language with which I am not very familiar. So, I am not aware whether the hon. Member has given any statistics.

Mr. Chairman: No statistics have been given.

Shri Easwara Iyer: Thank you, Sir. I would respectfully say that my experience in my part of the country, in my State, so far as these offences are concerned, is that these offences are certainly on the decrease. I do not know how it is with respect to the state of affairs in the State from which the hon. Mover of the Bill comes.

Shri Braj Raj Singh (Firozabad): He comes from the capital.

Shri Easwara Iyer: I would say that such a move need not come. Why should such a move come? We must examine the root cause of this Bill. Certainly there is no use for us to go into the details as to the basis of criminology or penology and examine the jurisprudence of criminology as to whether a punishment should be preventive, deterrent, or retributive or reformative. All these are of no use according to me, because all along I have been feeling that the fact that we have provided a severer punishment, a greater sentence or a longer sentence, if I may say so, is not going to absolve society of this disease.

Crimes do not diminish because we have provided deterrent punishment nor because we are having an improved system of jurisprudence so far as criminology is concerned. I would say that crimes will be diminished if individuals constituting the society are influenced, from committing such crimes, by purer education, better literature and, if I may add, by increased facility for rehabilitation of orphans and the poor.

We must examine the real basis of a crime and the problem cannot be solved by merely providing, say, that we must have 15 years' rigorous imprisonment, transportation for life or imprisonment for life or even capital sentence so far as the offences relating to women are concerned. I cannot see eye to eye with this Bill particularly when we feel a sort of alarmist tendency in us. Are we now in such a position that so far as our citizens are concerned there is a perversity being developed so that there are increased cases of molestation of women? I do not think there is. If there is any offence that is being committed against women, the Indian Penal Code is exhaustive and comprehensive enough, regarding the punishment. A look at the Bill would show that, if it goes outside, there is a feeling amongst us that molestation of women is on the increase. There are Sections 354 and 358 of the Indian Penal Code which provide for 7 years or 10 years of rigorous imprisonment for molestation of women. If the hon. mover feels that the punishment is not adequate, certainly he can move an amendment to the Indian Penal Code and urge upon this House to accept that amendment. A separate piecemeal legislation based on a feeling of righteous indignation of certain existing circumstances or

facts will not be conducive to the welfare of the society. That is what I feel regarding this.

This House will pardon me if I am looking at it as a lawyer, because there is always a growing tendency that we lawyers are always splitting hairs. The hon. mover would pardon me if I say that from the very definition, *it is inaccurate* and *ill-drafted.* We start from the definition in clause 2 which says "molestation" includes indecent behaviour towards women. What exactly does he mean by it? What is indecent behaviour? It depends upon certain subjective satisfaction of the court where it goes, whether a particular overt act on the part of a man is indecent behaviour. If I wink at a woman, is it indecent? Supposing by crossing the way, because I am big, if I touch a woman, is it indecent? It depends upon a particular state of affairs . . .

An Hon. Member: State of mind.

Shri Easwara Iyer: I am sorry, state of mind. Therefore, an accurate definition is necessary. The hon. mover is well aware that in the Indian Penal Code, the words 'indecent' and 'assault' are defined there—I am speaking just from memory. But inaccurate definitions have crept in here. After defining molestation, the subsequent clause does not deal with molestation; *it goes on to say,* "Notwithstanding anything contained in any Act in force for the time being, whoever molests anybody . . ." It does not say "whoever is guilty of molestation". The word is used in the verbal form. If we examine this Bill just as a lawyer would examine it, I would say that the Bill has not been very happily worded.

The Deputy Minister of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas): There should be work for lawyers like you.

Shri Easwara Iyer: Of course, the hon. Deputy Minister himself was a lawyer and he knows the difficulties when he is on the prosecution side. We have to say whether this Bill is really necessary. Is it expedient to have a separate piecemeal legislation for the circumstances of a case? Of course, by enacting the Hindu Marriage Act, the Hindu Succession Act, etc., we have knocked out so many difficulties and disabilities of women and ameliorated their conditions. But this is a particular question relating to offences with respect to the Indian Penal Code and whether this is absolutely necessary is a matter that this *House has to consider. To me it* appears that it is absolutely unnecessary in the particular existing circumstances in the society. If it is found really necessary later on, when crime is really on the increase, if we examine the statistics and find that we are in a very unfortunate position of developing tendencies towards molestation of women, certainly we will examine it and even if it goes to the extent of calling for deterrent punishment of transportation for life or life imprisonment, I will be one with the Member. Certainly it is a Bill which has come out of a warped mentality and should be put an end *to.* So, I would suggest that it is a case where it is not expedient for our House to enact such a measure.

श्री प० ला० बारूपाल : (बीकानेर-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : सभापति महोदय, मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे इस विधेयक पर बोलने का मौका दिया ।

माननीय सदस्य ने हमारी नारियों के साथ पुरुषों द्वारा जो दुर्व्यवहार, अत्याचार और अनाचार हो रहा है उसको रोकने के लिये जो यह विधेयक प्रस्तुत किया है मैं उसकी सरहाना करता हूं । मैं इस विधेयक में जो भावना काम कर रही है उस की कद्र करता हूं और आज इस सदन के अन्दर हम सभी बने इस बात को महसूस करते हैं कि हमारे देश के अन्दर अनाचार और अत्याचार दिनो-दिन बढ़ता जा रहा है और यह कि उसके निराकरण के लिये कोई सक्रिय कदम उठाया जाना चाहिये ।

एक माननीय सदस्य : क्या आप के पास कोई इस संबंध में आंकड़े हैं ।

श्री प० ला० बारूपाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं भी इस चीज को महसूस करता हू कि आज हमारी भारत माता अपने कपूत पुत्रो को देख कर रो रही है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज जिस प्रकार से स्त्रियो के साथ व्यवहार किया जा रहा है, वैसा दुर्व्यवहार नही होना चाहिये और इस संबंध में माननीय सदस्य ने जो सदन के सामने अपने विचार रक्खे है, मैं उन से सहमत हूं। लेकिन एक बात मैं इस सिलसिले में जरूर कह देना चाहता हू कि माननीय सदस्य ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है वह केवल स्त्रियो के लिये ही है, वह एकतरफ़ा है और उसमे पुरुषो का कोई जिक्र नही किया गया है। मेरा सुझाव यह है कि विधेयक को लाने वाले माननीय सदस्य इस पर पुनर्विचार करें और जब तक वे पुन इस विधेयक पर अच्छी तरीके से सोच समझ कर यथोचित रूप मे इसको नही रक्खेंगे तब तक मैं समझता हू कि इस से कोई लाभ नही होगा। इस विषय पर सदस्यो ने अपने अपने सुझाव रक्खे हैं और बहुत से सदस्य इस पर अभी बोलना चाहते हैं इस वास्ते मैं ने एक लिखित चीज तैयार कर ली थी कि अगर सभापति महोदय मुझे उसको यहा पर पढ कर सुना देने की इजाजत दे देंगे तो मैं उसको यहा पर सुना दूगा क्योंकि मैं यह नही चाहता था कि मैं इस विषय पर कोई एक लम्बा चौडा भाषण दू लेकिन और चूकि उसकी इजाजत नही है इस लिये उसको नही पढ़ूगा। लेकिन आज की भारत की अवस्था के बारे में जो एक भारतवासी ने कहा है वह मैं आप को सुना देना चाहता हू :

"जागो जापान जगाय दियो जग,
पौरुष देश के रूसी भागे।
चीन के लोग अफीम उपासक,
चीन के छोरी विलोकन लागे॥
दीन अधोगति वासी पताल के,
जाके के ज्ञान, सुधा रस पागे।
हाय जगदीश जगे जिये, देश के,
भारत पुन अभी नहीं जागे॥"

इस भारत देश के अन्दर हमेशा से बड़े बड़े ऋषि और महापुरुष होते चले आये हैं। इस देश को महर्षि स्वामी दयानन्द और महात्मा गाधी सरीखे देशभक्तों को पैदा करने पर गर्व हो सकता है। हमारे देश का इतिहास ऐसे ऐसे अन्य अनेक महापुरुषो से भरा पड़ा है लेकिन आज क्या हालत हो रही है। आज हम इस विधेयक के जरिये अपनी माताओ, बहिनों और स्त्रियों की रक्षा करना चाहते हैं लेकिन मैं यह समझता हूं कि इस तरह के कानून बना देने से उनकी रक्षा नही हो सकेगी। मैं तो समझता हू कि स्त्रिया स्वयं अपनी रक्षा अपने आप कर सकती हैं और प्राचीन काल मे इसी देश मे हमारे यहा दमयन्ती, सीता, सावित्री, पद्मिनी और महारानी झासी जैसी देविया और वीरांगनाये हुई हैं जिन पर कि हर एक स्त्री पुरुष को गर्व है और मेरा तो विश्वास है कि जब आज की हमारी बहिनो को उन देवियो का पाठ पढाया जायगा और उनके पदचिन्हो पर चलने की प्रेरणा दी जायगी तभी स्त्री मात्र का उद्धार हो सकता है और इस तरह की समस्या हमारे देश म पैदा ही नही होगी जिस के कि खत्म करने के लिये आज हम परेशान हैं। मुझे माफ किया जाय अगर मै यह कहू कि आज जो हमारी शिक्षा पद्धति है और जो हमारी शिक्षण सस्थायें चल रही हैं, उनका ध्यान उस गौरवमयी पुरातन संस्कृति की ओर नही है, उसके अनुकूल आज की शिक्षा व्यवस्था नहीं है बल्कि उसके प्रतिकूल है और जब तक हम अपनी पुरानी वैदिक सभ्यता के आधार पर इस कार्य को नहीं करेंगे तब तक हम जो चीज करना चाहते हैं उस के करने में सफल नही हो सकेंगे। आज हम क्या देखते हैं। मुझे इस स्पष्टवादिता के लिये क्षमा किया जाय अगर मैं कहूं कि आज हमारी बहिनें अपने को फैशन के हिसाब से बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश करती हैं और उसी का यह परिणाम हो रहा है कि आज हमें सती सीता, सावित्री और दमयन्ती सरीखी स्त्रिया देखने को नहीं मिलतीं और आप स्वयं समझ

सकते है कि जब सीता नहीं देखने को मिलेंगी तो लक्ष्मण आपको कहां देखने को मिल सकते हैं। मुझे इस अवसर पर रामायण का वह प्रसंग याद हो आता है जब राम को सीता को खोजते हुए वन में उन के कुछ आभूषण मिल जाते हैं और वह लक्ष्मण से पूछते हैं कि भाई इन जेवरों को तो पहचानो कि यह सीता के है कि नही तो लक्ष्मण यह उत्तर देते हैं कि हे भाई मैं इन जेवरों को नही पहचानता क्योंकि मैं ने उस माता के चरणो की ओर ही हमेशा निहारा है और मैं ने उस के मुख की ओर कभी नही देखा है इस लिये मैं इन जेवरो को नही पहचान सकता। तो यह हमारा आदर्श था और मैं चाहता हूं कि हमारी बहिनें उसी की अनुयायी बनें। पुरुषो को भी लक्ष्मण के चरित्र को अपने सामने रखना चाहिये और उसको आदर्श रूप मे अपनाना चाहिये। साधु सुन्दर दास ने इस सबंध मे पुरुषो को बडे ही सुन्दर शब्दों में कहा है कि अगर पुरुष बचना चाहता है तो वह स्त्री को ऐसी दृष्टि से देखे जैसे वह उससे डरता हो क्योंकि स्त्री का ऐसा माधुरी सौन्दर्य कर होता है जो कि हमेशा पुरुष को आकर्षित कर लेता है और मुझे माफ किया जाय अगर मैं यह कहूं कि आजकल को हमारी बहिनो का पहनावा ही कुछ इस तरह का तड़क भड़क का है और उनके गालों पर पाउडर और मुंह पर लिपस्टिक का प्रयोग इतना बढ गया है कि जिसको और आदमी बरबस आकृष्ट हो जाता है और उसके उस तडक भडक वाले बनाव श्रृंगार को तो देख कर हमें शर्म महसूस होने लगती है

श्रीमती सहोदराबाई : स्त्रियों के लिये ऐसा अंट संट नही बोलना चाहिये।

श्री ब० ला० बाल्मीकि : मैं ने तो ऐसा कोई अनुचित शब्द नही इस्तेमाल किया। मैं तो साधु सुन्दर दास ने जो इस विषय में कहा है वही सभापति महोदय आपकी इजाजत से यहां सुना देना चाहता हूं :

"कामिनी को तन मन कहिये सुधन वन
वहां कोई जाय सो भूल में परत है।
कुच को पहाड़ जहां कामचोर बसे वहा,
साध के कटाक्षबाण प्राण को हरत हैं।।
कुंजर की गति कटि केहरी को भय जामे,
बेनी काली नागिन सी फन क्यो धरत है।
सुन्दर कहत डर एक आमे है अति," इस के आगे मैं नही जाना चाहता। यह प्रकृति का उसूल है और यह एक ऐसा नियम है जिस से कोई बच नही सकता। मुझे माफ किया जाय अगर मैं यह कहूं कि आज हम सिनेमाओं के अन्दर और बसों के अन्दर क्या देखते है ? मैं शहरों की बात करता हूं। अगर स्त्रियां छेड़छाड़ करती हैं तो उनका कुछ भी नही होता। मैं मिसाल के तौर पर बीकानेर की घटना सुनाना चाहता हूं जहा पर कि हमारे यहां के चीफ मिनिस्टर महोदय मौजूद थे और हमारे श्री जगजीवन राम भी मौजूद थे, एक बहुत बडे आदमी की स्टेज पर एक स्त्री ने अपमान किया लेकिन उसकी इनक्वाइरी तक नही हुई लेकिन अगर कोई पुरुष इस तरह की छोटी मोटी हरकत कर देता है तो उसको अंतड़िया बखेर दी जाती हैं। यह कानून केवल एकतरफा कानून है और अगर इसे इसी रूप में पास कर दिया गया तो यह पुरुषों के साथ अन्याय करना होगा। जुर्म चाहे स्त्री करे चाहे पुरुष कानून दोनों के लिये एक ही होना चाहिये।

इस के अतिरिक्त जैसे हम कहते है कि हरिजनो के साथ समानता का व्यवहार करने के लिये कानून तो आवश्यक है ही लेकिन उसके लिये अनुकूल वातावरण पैदा करना जरूरी है और लोगों के हृदय परिवर्तन की आवश्यकता है, ठीक वही बात यहा पर भी लागू होती है। नारियो के हृदय परिवर्तन की आवश्यकता है। स्त्रियों को जो शिक्षा दी जाय वह हमारी पुरानी वैदिक सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप हो और वह ऐसी हो जिस से कि उनके चरित्र का निर्माण हो। मैं पूछना चाहता हूं कि जो स्त्रियां आज केवल

[श्री प० ला० बारूपाल]

अपने पतियों के भोग विलास का साधन बनी हुई हैं, जो स्त्रियां स्वयं अपनी रोटी नहीं पका सकतीं, जिन से पानी का लोटा भर कर नही लाया जा सकता और जो अपने बच्चों को नहला नहीं सकतीं, भला ऐसी स्त्रियों से देश का क्या भला हो सकता है। मुझे इस स्पष्ट-वादिता के लिये क्षमा किया जाय लेकिन जब मैं देखता हूं कि मेरी माताएं और बहिनें किस गलत दिशा की ओर जा रही हैं तो मुझे बड़े दु:ख का अनुभव होता है और मैं सोचता हूं कि क्या इस तरह कभी इस देश का कल्याण संभव हो सकता है? आज मैं समझता हूं कि जिस तरीक़े से इस देश के अन्दर अनाचार, भ्रष्टाचार और व्यभिचार बढ़ता जा रहा है वह बड़ी चिन्ता की चीज है। हमारे नेता लोग जब यह कहते हैं कि हमारा देश तरक्की कर रहा है और यहां पर बड़ी बड़ी योजनायें और निर्माण कार्य चल रहे हैं तो मैं उस चीज से इन्कार नहीं करता और मैं उसको मानता हूं कि हां देश उस ओर तो तरक्की कर रहा है लेकिन क्या खाली इमारतें, बड़े बड़े बांध और पुल आदि बना कर ही हम यह समझ लेंगे कि देश तरक्की कर रहा है और संतुष्ट हो जायेंगे? मैं तो ईंट, पत्थर की तरक्की को मान्यता देने की अपेक्षा नैतिकता और चरित्र की दृष्टि से देश तरक्की कर रहा है या गिर रहा है इस में अधिक मान्यता किस को देनी है और आज जिस तरीके से देश के अन्दर भ्रष्टाचार, अनाचार और अनैतिकता बढ़ती जा रही है उसको देखते हुए मुझे यह कहने के लिये माफ किया जाय कि भगवान ही इस देश की रक्षा करे।

Several Hon. Members rose—

Mr. Chairman: The time is over.

Shri Braj Raj Singh: One minute, Sir.

Shri Raghunath Singh: Sir, I want to reply to this gentleman.

Mr. Chairman: If there is time, I will call the hon. Lady Member.

12 hrs.

श्रीमती जिलोमला (बलोदा बाजार रक्षित-अनुसूचित जातियां): सभापति महोदय, मुझे आपने जो इस विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, तो उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

आज कुछ इस तरह की हमारे नौजवान लड़कों में अनुशासनहीनता का भाव आ गया है कि हमारे स्कूल और कालिजों के लड़के जो कि शिक्षित होते हैं वे रास्ता चलती हुई औरतों और लड़कियों के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं और ऐसा करना कुछ आजकल का एक फैशन सा बनगया है। आज इतने युगों के बाद, हमारे नेहरू युग में औरतों को जो समानता का अधिकार मिला है, उस का हम अपने मुख से वर्णन नहीं कर सकते हैं। परन्तु आज समानता के युग में भी यह युग हमें कुचलने के लिये तैयार है, कारण आज की अनुशासनहीनता है। कालेज के लड़के लड़कियों को छेड़ेंगे, रास्ता चलते धक्का दे कर गिरा देंगे, यह आजकल का फैशन हो गया है। इस लिये मैं इस बिल को पास करने का सुझाव जरूर दूंगी और इस में परिवर्तन करने के भी सुझाव दूंगी। सिनेमा के युग में जब कलाकार पेश होते हैं और अच्छी तरह से अपनी कला पेश नहीं कर पाते तो जनता उन को हीन दृष्टि से, खराब भावना से देखती है यह तो है ही, परन्तु उन के साथ क्या व्यवहार किया जाता है, उस का भी मैं जरा चित्रण करती हूं। सिनेमा के युग में आप देखेंगे, यहां दिल्ली में तो मैं इन बातों को नहीं पाती हूं मगर बैकवर्ड एरियाज में आप देखेंगे कि यदि कोई कलाकार पेश होता है तो लोग उन के ऊपर नाना प्रकार की टीका टिप्पणी करेंगे, सीटियां बजायेंगे। तालियां बजायेंगे। उन के नाम पर कोई कोई लोग बुरी बुरी बातें कह कर और गालियां दे कर उन के साथ व्यवहार करेंगे।

मैं सुझाव दूंगी कि दूकानों में औरतों के जो करीब करीब नग्न चित्र रक्खे जाते हैं उन के लिये भी इस बिल में सजा होनी चाहिये क्योंकि क्या औरतें ही उन दूकानों की शोभा बढ़ाने के लिये हैं ? आदमियों को भी रखना चाहिये । जैसा हमारे वाजपेयी जी ने कहा कि औरतें फैशन बढ़ाती हैं और मर्दों को आकर्षित करती हैं, तो इस में मर्द भी गुनहगार हैं । जब मर्द अपनी औरतों के लिये फैशन बढ़ाने के वास्ते पतले पतले कपड़े नहीं लायेंगे, लिपस्टिक नहीं लायेंगे, तो औरतें फैशन नहीं बढ़ा सकेंगी ।

एक माननीय सदस्य : औरतें इस के लिये जिद करती हैं ।

श्रीमती मिनिमाता : जिद करती हैं, तो उसे मसलने के लिये आपकी लाठी है ।

सभापति महोदय : मुझे उम्मीद है कि आनरेबल लेडी मेम्बर और ज्यादा वक्त लेना चाहती हैं । ६ बज चुके हैं । अगर आप और वक्त लेना चाहती हैं तो आइन्दा जो दिन मुकर्रर होगा इस बिल के वास्ते, उस दिन के लिये बाकी रक्खें ।

PRESIDENT'S ASSENT TO BILLS

Secretary: Sir, I lay on the Table following three Bills passed by the Houses of Parliament during the current session and assented to by the President since a report was last made to the House on the 3rd December, 1957:—

(1) The Indian Nursing Council (Amendment) Bill, 1957.

(2) The Cantonments (Extension of Rent Control Laws) Bill, 1957.

(3) The Indian Telegraph (Amendment) Bill, 1957.

VEGETABLE OILS AND ANTI-OXIDANT

Shri V. P. Nayar (Quilon): I am raising this discussion as a result of the unsatisfactory and incomplete answers given to me for Starred Questions Nos. 755 and 760 of the 3rd December, 1957 by Shri A. P. Jain, Minister of Food and Agriculture, and I am doing so to focus the attention of the Government and this House on three points, namely: (1) the failure of the Government of India to undertake successful research in producing anti-oxidants from indigenous and cheap materials; (2) failure of the Government of India to take adequate steps to ensure that ghee and edible vegetable oils do not get rancid and thereby become poisonous; and (3) continuance of allowing imports of materials badly needed by Indian industry when such materials can be produced on a commercial scale from indigenous raw material.

I am glad that you, Sir, occupy the Chair now because I have seen how in this House several times you have fought for the cause of ghee in this country.

I would only submit that the hon. Minister who seems to be there to answer me, and I, may be equally ignorant of anti-oxidants, and most of the Members also may not understand it. So I do not want to enter into the realms of chemistry in this discussion, and shall try to avoid as many technical words as possible.

One of my questions was whether any anti-oxidant had been produced in the Pusa Institute which ensured the keeping quality of vegetable oils and fats, and the answer was "yes". I could have understood him there, but he went on to say:

> "Resinous extractives obtained from one variety of the Myristica seeds showed strong antioxidant properties, but it cannot be recommended for edible oils because of its high toxicity as indicated by preliminary trials."